## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ं (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)

फा.सं.35-2145/2019/(आऱ.टी.आई.-स्था.-1) (पार्ट फा.)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स में प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन संबंधी।

उपर्युक्त विषय के विभिन्न ज्ञापनों के निर्वतन में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स, नई दिल्ली में रेडियोथरेपी विभाग डॉ बी.आर.ए.-आई.आर.सी.एच के लिए निम्नलिखित संकाय सद्स्य को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

क्र. सं	विभाग/अनुभाग/के न्द्र/य्निट का नाम	नामित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम	नामित सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम	नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1	रेडियोथरेपी (डॉ बी.आर.ए आई.आर.सी.एच)	ड़ों सुभाष चन्द्र, प्रोफेसर एण्ड विभागध्यक्ष रेडियोथरेपी विभाग पूर्वतः मौजूद है ।	अस्तित्य में नहीं	डॉ. जी. के. रथ प्रोफेसर एण्ड मुख्य डॉ वी.आर.एआई.आर.सी.एच ।
				rings sine

इसे निदेशक एम्स, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(ललित उरांव)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

## विंतरण:

- सभी संबंधित अधिकारीगण। 1)
- अध्यक्ष-अस्पताल प्रबंधन बोर्ड। 2)
- 3) चिकित्सा अधीक्षक।
- सभी केन्द्र प्रमुख/विभागाध्यक्ष/अनुभाग/एकक/शाखां के अधिकारीगण। 4)
- 5) पभारी संकाय, मीडिया केन्द्र।
- प्रभारी आचार्य (कम्प्यूटर सुविधा), एम्स- इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना 6) अधिकारियाँ एवं सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची को संस्थान की वेवसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
- अधीक्षण अभियंता महोदय, एम्स इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना 7) अधिकारियों एवं सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नामों को एम्स आर.टी.आई. सूचना पट्ट पर मुद्रित करा दिया जाए।
- निदेशक/संकायाध्यक्ष/उप-निदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सचिव। 8)
- 9) सभी सूचना पट्ट।
- संवधित अधिकारियों की वैयक्तिक फाइल। 10)
- 11) गार्ड फाइल।

## ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (RTI CELL)

No.F.35-2145/2019/(RTI-Estt.I) (Part File)

Ansari Nagar, New Delhi-29.

Dated:

MEMORANDUM

FEB 2020 Subject: - Designation/Nomination of First Appellate Authority under Right to Information Act at AIIMS, New Delhi.

In Supersession of the various Memorandum on the subject cited above. The undersigned is directed to inform that the Competent Authority is pleased to designate / nominate the following Faculty Member as First Appellate Authority for the Department of Radiotherapy (Dr BRA-IRCH). The name & designated Faculty Member are as under:-

5. No.	Name of the Department/ Centre	Name of Designated Central Public Information Officer	Name of Designated Central Assistant Public Information Officer	Name of Designated Appellate Authority
1.	Radiotherapy (Dr. BRA-IRCH)	Dr. Subhash Chander, Professor & Head, Department of Radiotherapy is already nominated	Not in existence	Dr. G.K. Rath, Professor & Chief of Dr. BRA-IRCH, AIIMS, New Delhi

This issue with the approval of Director, AIIMS, New Delhi

(LALITYORAON) SR. ADMINISTRATIVE OFFICER & NODAL CPIO

## DISTRIBUTION:

- Officer Concerned 1)
- The Chairman Hospital Management Board. 2)
- The Medical Superintendent 3)
- All the Chiefs of Centres/Head of the Departments/Sections/Unit/Branch Officers. 4)
- The Faculty In-charge, Media Centre 5)
- Prof. In-charge (Computer Facility), AIIMS with a request to upload list of (6) aforesaid designated Appellate Authority, Central Public Information Officer & on the website of the Institute.
- Superintending Engineer, AIIMS with the request to get printed the name of 7) aforesaid designated Appellate Authority, Central Public Information Officer र्भी हैं जिल & on the AIIMS RTI signboard.
- The P.S. to Director/Dean/DD(A)/Sr. F.A./CAO 8)
- All Notice Boards 9)
- Personal File of Officers concerned 10)
- The Guard File. 11)

प्राप्त किया / RECEIVED कम्प्यूटर सनिया / Computer Facility

1 4 FEB 2020

2 3/2/2020